न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 50/2025 G.C.M.S. No. 2025/306 दर्ज दिनांक : 03.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. संगीता पुत्री स्वर्गीय हुकमाराम पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत निवासी नयागांव प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. हाल मुकाम मिनाक्षी प्लास्टिक 14–32–एस 1–66 नेहरू स्ट्रीट तिरूपति आन्ध्रप्रदेश

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजुदेवी पुत्री स्व. उदाराम
2. गजराईदेवी पुत्री स्व. उदाराम
3. बिदामीदेवी पुत्री स्व. उदाराम
4. अणची पुत्री स्व. उदाराम
5. मंजुश्री पुत्री स्व. उदाराम
6. पांचीदेवी पुत्री स्व. उदाराम, जातियान कुमावत निवासीगण बांझाकुड़ी, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
7. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 79/2025 बअनवान राजूदेवी वगैरह बनाम संगीता वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025

पैरोकार:–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, श्री भरत सिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 79/2025 बअनवान राजूदेवी वगैरह बनाम संगीता वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट ने अपीलांट व अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी तहसील जैतारण में अपीलांट, रेस्पोंडेंट व अन्य की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती जमीन खसरा नंबर 343/8 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाडा, खसरा नंबर 64 रकबा 0.9470 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

76 रकबा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 77 रकबा 0.6232 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने बाबत अनुतोष चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०काश्त०अधि० के प्रार्थनापंत्र पर दिनांक 24.04.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर अपीलान्ट को उनके मालिकाना हक की जमीन में काश्त करने मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया और अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन का राजस्व रेकर्ड का अवलोकन ही नहीं किया और बिना अपीलान्ट को नोटिस जारी किये एकतरफा ही विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया। इसके साथ ही वादग्रस्त आराजी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे रेस्पोंडेन्ट का कोई नाम नहीं हैं व मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं और अधिनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत कर उसके पश्चात दिनांक 24.04.2025 को स्थगन आदेश एकतरफा पारित होने के पश्चात रेस्पोंडेन्ट ने मौके पर जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट के हक, हिस्से की भूमि में जबरदस्ती पटिया रोपकर कब्जा करने की कोशिश की और मौके पर कब्जा काश्त न होते हुए भी रेस्पोंडेन्ट ने अपना कब्जा होना बताया है जो पूर्णतया गैरकानूनी हैं। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट ने अपने मूल वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र में म्युटेशन संख्या 805 पारित होने की दिनांक का अंकन नहीं किया एवं स्वर्गीय उदाराम जी का देहान्त कब हुआ, उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया तथा रेस्पोंडेन्ट ने वादपत्र में अपनी उम्र का भी खुलासा नहीं किया जबकि रेस्पोंडेन्ट के पिता स्वर्गीय उदाराम जी का देहान्त हुए भी करीबन 40–50 वर्ष हो गये। इतने वर्षों तक रेस्पोंडेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की थीं। जिससे उसका मूल वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र म्याद बाहर है तथा रेस्पोंडेन्ट ने वास्तविक तथ्य को छुपाकर अधिनस्थ न्यायालय में वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और अधिनस्थ न्यायालय ने भी सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड एवं विधि अनुसार हुए फौतेदगी म्युटेशन पर बिना गौर किये ही दिनांक 24.04.2025 को एकतरफा आदेश पारित कर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड को देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी जिसके सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया, उसमें वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोंडेन्ट का कानूनन कोई हक अधिकार नहीं हैं एवं न ही जमाबन्दी में कोई नाम है और न ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर बिना गौर किए एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया, जिसमें भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होने के बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेकर्ड की अनदेखी कर दोनों पक्षों को पाबन्द करने के बजाय अन्तरिम स्थगन आदेश में अपीलान्ट को पाबन्द कर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। जबकि दिनांक 24.04.2025 को स्थगन आदेश पारित करते समय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो मौका रिपोर्ट थीं और न ही राजस्व रेकर्ड मे रेस्पोडेन्ट का नाम था। परन्तु फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थाई निषेधाज्ञा या कोई अन्तरिम आदेश पारित करते समय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करना कानूनन आवश्यक है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न तो राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया व न मौके की रिपोर्ट तलब की और अपीलान्ट के मालिकाना के हक की जाने में अपीलान्ट को रोककर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की हैं। जिस कारण अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2025 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई व्यादेश अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. चूंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2025 तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। उक्त आदेश के पश्चात ही आदेशिका अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अपीलाधीन आदेश वर्तमान में भी प्रभावशील है या नहीं।
3. चूंकि अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है तथा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका गुणावगुण के आधार पर अंतिम विनिश्चय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना या आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा। अतः हमारे विनम्र मत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली